भारत की जनसँख्या नीति
Population Policies of India

बोलेन्द्र कुमार अगम,
सहायक प्राध्यापक भूगोल,
राजा सिंह कॉलेज सिवान

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000

एमएस स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया है । इसमें जनसंख्या संबंधी लक्ष्यों को तीन चरणों में बाँटकर देखा गया है ।

1. **तत्कालिक लक्ष्य:** इसके अंतर्गत प्रजनन व शिशु के देखभाल की समुचित व्यवस्था तथा गर्भनिरोधकों व स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है ।
2. **मध्यकालीन लक्ष्य:** इसके अंतर्गत 2010 तक कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था । इसके लिए 14 राष्ट्रीय जनांकिकी लक्ष्य निर्धारित किए गए । इनमें छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए 16 प्रेरक व प्रोत्साहक उपाय शामिल किए गए ।
3. **दीर्घकालीन उद्देश्य:** इसके अंतर्गत 2045 ई० तक सामाजिक व आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है । इस हेतु 2026 ई० तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके ।

प्रमुख प्रावधान

1. बुनियादी प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आपूर्तियों तथा आधारभूत ढांचे से संबंधित अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना ।
2. 14 वर्ष की आयु तक विद्यालयी शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना । प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर छात्र और छात्राओं दोनों को ही विद्यालय छोड़ने में 20% तक कमी लाना ।
3. शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 30 से नीचे लाना ।
4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो निर्धारित आयु में विवाह करने के पश्चात पहले बच्चे को जन्म दे जब मां की आयु 21 वर्ष हो जाए ।
5. टीकों द्वारा रोकथाम वाली बीमारियों के विरुद्ध सार्वभौमिक टीकाकरण लाना ।
6. कन्याओं के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करना । 18 वर्ष से पहले नहीं तथा 20 वर्ष के बाद करने को तरजीह दी जाए ।
7. 80% प्रसव संस्थानों द्वारा 100% प्रसव प्रशिक्षित दाइयों द्वारा होना ।
8. प्रजनन विनियम के लिए सूचना / सलाह और सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच तथा गर्भनिरोधक के व्यापक विकल्पों का पता लगाना ।
9. जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भावस्था का 100% पंजीकरण कराना ।

10. एड्स के प्रसार को रोकना तथा प्रजनन अंग-संक्रमण (RTI) और यौन संचारित रोगों तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अपेक्षाकृत अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना ।
11. संक्रमण बीमारियों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण ।
12. प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तथा घरों तक इनकी पहुंच करने हेतु भारतीय औषध पद्धति को एकीकृत करना ।
13. TFR के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने हेतु छोटे परिवार के मानदंडों को ठोस रूप से बढ़ावा देना ।
14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को एकीकृत करना ताकि परिवार कल्याण एक जन-केंद्रित कार्यक्रम बन सके ।
15. जनसंख्या नीति में संविधान के अनुच्छेद 84वें संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही रखने का निर्णय लिया गया है ।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

नई जनसंख्या नीति 2000 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया । इसका प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करना था जिसके लिए जनसांख्यिकी, शैक्षिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में तालमेल को बढ़ावा देना था । राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषकर उच्च प्रजनन राज्यों में समीक्षा करना, उच्च प्रजनन जिलों की पहचान और जिला कार्ययोजनाएं तैयार करना, निगरानी की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकी संकेतको का चयन, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए नीति प्रधानता वाले प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा परिवार नियोजन सेवाओं की अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना सम्मिलित है । योजना की व्यापक को बहुक्षेत्रीय समन्यवन को सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को योजना आयोग से हटाकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है ।

जनसंख्या स्थिरता कोष

नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्धारित जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष नाम से एक जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 13 फरवरी 2003 को स्वीकृति दी । अब यह जनसंख्या स्थिरता कोष के नाम से जाना जाता है । जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए दाता संस्थाओं व चैरिटेबल संगठनों सहित निजी क्षेत्र के संसाधन जुटाना इस कोष का मुख्य उद्देश्य है । जनसंख्या नियंत्रण के मामले में पिछड़े राज्यों को वित्तीय सहायता इस कोष से उपलब्ध कराई जाएगी । .....समाप्त

****

सन्दर्भ: जनसँख्या भूगोल-SBPD प्रकाशन, डॉ चतुर्भुज ममोरिया & डॉ एच एस गर्ग; भारत का भूगोल-कॉसमॉस प्रकाशन, महेश बर्णवाल

****